



मनरेगा के तहत बेरोज़गारी लाभ संवितरण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 भारत में ग्रामीण श्रमिकों के लिये एक अत्यावश्यक जीवन रेखा के रूप में भूमिका निभाता है। हालाँकि ग्रामीण विकास तथा **पंचायती राज** पर **संसदीय स्थायी समिति** की एक हालिया रिपोर्ट ने इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बटु क्या हैं?

■ लाभ का सीमिति वितरण:

- रिपोर्ट के अनुसार वगित पाँच वर्षों में 7,124 पात्र श्रमिकों में से केवल 258 को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ जेकुल पात्र श्रमिकों का लगभग 3% हसिसा है।
- मनरेगा, 2005 की धारा 7(1) के अनुसार, 15 दनियों के भीतर कार्य में नयोजति नहीं होने वाले श्रमिकों को दैनिक बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने की अनविरयता है।

■ राज्य-वशेष डेटा:

- योजना के तहत राज्य सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने के लयि उत्तरदायी होती हैं।
- कर्नाटक में योजना के तहत पात्र श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक (2,467) दर्ज की गई कतिकिसी को भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
- 1,831 पात्र श्रमिकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा जनिमें से केवल नौ श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ।
 - बहिर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी संबद्ध रकिॉर्ड चिनीय रहा।
- इन राज्यों में श्रमिक उक्त योजना हेतु पात्र थे कति उन्हें या तो अपर्याप्त लाभ मला या बलिकुल नहीं मला।

■ वलिंबति वेतन के लयि लंबति मुआवज़ा:

- समति को सूचति कया गया कवितितीय वर्ष 2018-19 से 21 नवंबर, 2024 तक मुआवज़े के लयि कुल 13 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई थी और केवल लगभग 10 करोड़ रुपए का भुगतान कया गया था, जसिसे एक बड़ी राशालंबति रह गई थी।
 - ग्रामीण विकास वभाग के अनुसार, ब्याज भुगतान की ज़मिमेदारी राज्य सरकार की है।
- मनरेगा में कहा गया है कयिद मस्टर रोल बंद होने के 15 दनियों के भीतर मज़दूरी का भुगतान नहीं कया जाता है, तो श्रमिक देरी के लयि मुआवज़े के हकदार हैं। मुआवज़ा मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दनि से अधिक वलिंब के दनि अवैतनिक मज़दूरी का 0.05% है।

■ समति की सफिरशि:

- समति ने लाभों का उचति वितरण सुनश्चित करने के लयि केंद्रीय ग्रामीण विकास वभाग और राज्य सरकारों के बीच समन्वति परयासों की सफिरशि की।
- बेरोज़गारी लाभ का भुगतान न होने की समस्या से नपिटने के लयि उपाय कयि जाने चाहयि।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):

- MGNREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू कयि गए वशि्व के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबधति अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वितितीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दनियों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
 - यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है जसिका अर्थ है कजिब बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो ग्रामीण परिवारों के पास आय के वैकल्पिक स्रोत होते हैं।
 - 14.32 करोड़ पंजीकृत जॉब कार्ड हैं जनिमें से 68.22% सकरयि जॉब कार्ड हैं औरकुल 25.25 करोड़ श्रमिक, जनिमें से 56.83% सकरयि श्रमिक हैं।
- वर्ष 2022-23 में मनरेगा की उपलब्धयि:
 - इससे देशभर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मला है।
 - इसमें से 289.24 करोड़ व्यकत-दविस रोज़गार उत्पन्न हुआ है, जसिमें:
 - 56.19% महलारै
 - 19.75% अनुसूचति जात(SC)

- 17.47% अनुसूचित जनजाति (ST)

और पढ़ें: [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिस:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (D) किसी भी घर के वयस्क सदस्य ।

उत्तर: (D)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mgnrega-unemployment-benefits-disbursement>

